राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तांत

अंक 12 अष्टम विधान सभा के बारहवें सत्र का सोलहवां दिवस संख्या 4

सोमवार,

22 जनवरी, 1990

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

—

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी, अध्यक्ष, पदासीन)

—

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री शिवचरणसिंह (करौली) : माननीय अध्यक्ष जी, आज सदन का आखरी दिन है और मेरे क्षेत्र करौली के 10 हजार आदमी हाऊस के...

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं।

श्री शिवचरणसिंह : आज आखरी दिन है मैं कब कहूंगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं, मुख्य मंत्रीजी कृपया मुझे आश्वासन दे दें। धन्यवाद।

लोक सभा से प्राप्त संदेश

सचिव, विधान सभा (श्री दिनेशचन्द्र दलेला) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 118 का (का) के अन्तर्गत संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक, 1989 का अनुसमर्थन करवाने सम्बन्धी लोक सभा द्वारा भेजे गये संदेश की सूचना देता हूं जो निम्न प्रकार से है :-

"LOK SABHA SECRETARIAT"

Telegrams : LOKSABHA, NEW DELHI Parliament House
Telex : 31 66156 LSS IN NEW DELHI-110001

No. 1/25(3)/89/L-I December 27th, 1989.
Pausa 6, 1911 (Saka)

From

Dr. Subhash C. Kashyap,
Secretary-General,
Lok Sabha.

To

The Secretary,
Rajasthan Legislative Assembly,
Vidhan Sabha Bhawan,
Jaipur-302002.

SUBJECT : The Constitution (Sixty-second Amendment) Bill, 1989–ratification of.

Sir,

I am directed to state that the Constitution (Sixty-second Amendment) Bill, 1989 has been passed by the Council of States (Rajya Sabha) on the 21st December, 1989 and by the House of the People (Lok Sabha) on the 26th December, 1989. A copy of the Bill, as introduced in Rajya Sabha as well as a copy of the Bill as passed by the Houses of Parliament are sent herewith.

2. As the change which the Bill seeks to make will attract clause (d) of the proviso to clause (2) of article 368 of the constitution, the amendment will require to be ratified by the Legislatures of not less than one-half of the States by resolutions to that effect passed by those Legislatures before the Bill is presented to the President for his assent.

3. I am accordingly to request that a resolution ratifying the amendment may be placed befere the State Legislative Assembly/the State Legislative Council as early as practicable and the result communicated to this Secretariat.

4. It is suggested that the resolution may be on the following lines :—

> "That this House ratifies the amendment to the Constitution of India falling within the purview of clause (d) of the proviso to clause (2) of articles 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Sixty-second Amendment) Bill, 1989, as passed by the two Houses of Parliament."

5. The Parliamentary proceedings on this Bill are being printed and as soon as these are available, necessary number of copies thereof alongwith the copies of the Bills, as introduced in Rajya Sabha and as passed by both Houses of Parliament, will be forwarded to you for the use of the Members of the State Legislature through the Liaison Officer of your State in New Delhi.

6. The receipt of this letter may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,
Sd/-
(SUBHASH C. KASHYAP)

महोदय मैं लोकसभा से प्राप्त संदेश सदन की मेज पर रखता हूं।

अधिसूचनाएं

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : अभी बीच में कैसे करेंगे?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पाइंट आफ आर्डर तो बीच में ही चलेगा।

विधान सभा की कार्यवाही शुरू हो गई। पत्र सदन की मेज पर रख दिये गये ··

श्री अध्यक्ष : अभी कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रश्न यह है इसको आप आगे ले लीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप सुनिये तो सही।

श्री अध्यक्ष : मैं सुनूंगा, सब सुनूंगा।

श्री रामसिंह विश्नोई (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं जिनके द्वारा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के शैक्षणिक भ्रमण के लिए अनुबंधित बसें कर मुक्त की गई हैं, सदन की मेज पर रखता हूं :

(1) अधिसूचना संख्या प. 6(27) परि/89 दिनांक 27 अक्टूबर, 1989,

(2) अधिसूचना संख्या प. 5 (35/परि) 89 दिनांक 16 दिसम्बर, 1989

(3) अधिसूचना संख्या प. 5(36) परि/89 दिनांक 16 दिसम्बर, 1989।

प्रतिवेदन

राजस्थान स्टेट माईंस एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 42 वां वार्षिक प्रतिवेदन 1988-89

श्री हरिमोहन शर्मा (राज्यमंत्री, वित्त): अध्यक्ष महोदय, की आज्ञा से ···

6

श्री अध्यक्ष : आज्ञा दी गई।

श्री हरिमोहन शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उपधारा 3 का भाग (बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 42 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 सदन की मेज रखता हूं।

शासकीय संकल्प

संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक, 1989 का अनुसमर्थन

श्री दामोदर दास आचार्य (संसदीय कार्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"कि यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक, 1989 द्वारा किये जाने के लिए प्रस्तावित, भारत के संविधान के संशोधन का, जो कि उसके अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (घ) के क्षेत्र में आता है, अनुसमर्थन करता है।"

(अंग्रेजी अनुवाद)

"That this House ratifies the amendment to the Constitution of India falling within the purview of clause (d) of the proviso to clause (2) of Article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Sixty-second Amendment) Bill, 1989 as passed by the two Houses of Parliament."

व्यवस्था का प्रश्न

सरकारी घोषणाओं पर बिना चर्चा किए सदन की बैठक का स्थगन

श्री अध्यक्ष : माननीय भैरोंसिंह जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुपस्थिति में पिछला सत्र जब अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया गया था ...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : पाइन्ट ऑफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, 10 साल तक इन्होंने गुमराह किया वहां बैठकर और विराज रहे हैं फिर गुमराह करेंगे। इसलिये आप अपनी जगह लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मुझे बता दीजिये यहां कौन सी सीट है जहां से गुमराह नहीं किया जा सकता है? आप बता दें मैं बैठ जाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा कि पिछला सत्र जब अनिश्चित काल के लिये जिस समय स्थगित किया गया था सदन के नेता माननीय मुख्य मन्त्री श्री हरिदेव जी जोशी और विपक्ष के सभी सदस्य बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गये, किसी की भी यह धारणा नहीं थी कि सदन की कार्यवाही स्थगित हो। मुख्य मन्त्रीजी ने तो प्रेस कान्फ्रेन्स में यह कहा कि "मैं तैयार था दोनों विषयों पर जवाब देने के लिये एक तो गवर्नमेंट ने जो अनाउन्समेंट किये उनकी कुछ प्रतियां तो सदन में रख दी गई थी और उन पर फिर सदन के माध्यम से जो चर्चा चली है कि चुनाव की दृष्टि से घोषणाऐं की गई उसका जवाब देने के लिये तैयार थे। मुख्य मन्त्री जी ने साथ ही यह बात भी कही थी कि राजस्थान में साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति बनी है,

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

विशेषकर जयपुर में जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई उसका भी उत्तर देने के लिये मैं पूरी तरह से तैयार होकर आया था। विपक्ष भी तैयार था। माननीय अध्यक्ष महोदय जिन्होंने सदन की कार्यवाही स्थगित की उन्होंने भी अपने वक्तव्य में यह बात कही थी कि आज के एजेन्डा के अन्दर इसके आगे यह दोनों चीजें शामिल नहीं थी और यह लिखा हुआ नहीं था इसलिये मेरे सामने जब कोई बिजनैस नहीं था तो मैंने सदन की कार्यवाही आज तक के लिये स्थगित कर दी।

अध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दोनों वक्तव्य सदन में होने चाहिए थे। अब मैं आपसे पहली जानकारी तो यह करना चाहूंगा कि इन दोनों को कार्यसूची में शामिल नहीं किया गया इसमें गलती सदन की है या गलती किसी और की है। यदि सदन के माननीय सदस्यों की गलती नहीं है तो इसके दण्ड के भागीदार भी नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी भी अपोरचुनिटी जिसको हमने बिजनेस एडवायजरी कमेटी में बैठकर और वैसे भी आपके सामने तय किया था दोनों मामलों के अन्दर वक्तव्य होने थे वह वक्तव्य नहीं हुए। हम उस सारी डिबेट में भाग लेने से वंचित रह गए। उस स्थिति में मैं आपसे जानकारी करना चाहूंगा कि आप इस सम्बन्ध में अभी तक मौन धारण किए हुए हैं, मै समझता हूं कि आपका मौन बहुत ही रहस्यपूर्ण है और ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि आप अपना मौन तोड़कर हमको यह बतायें कि सदन के 200 सदस्य चाहते थे कि यह डिबेट हो, अध्यक्ष चाहते थे डिबेट हो, सदन के नेता चाहते थे डिबेट हो, विपक्ष चाहता डिबेट हो लेकिन एक केवल गलती के कारण कि एजेन्डा के अन्दर दोनों आइटम्स को शामिल नहीं किया गया, सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि उस परम्परा को निभाने के लिए इन विषयों के ऊपर सदन में चर्चा करने के लिए समय निश्चित करें जो किसी भूल के कारण से हम इस पर डिबेट नहीं कर सके। मैं चाहूंगा इन एनाऊंसमैंट्स के संबन्ध में और जो कम्युनल राइट्स हुए है उन कम्युनल राइट्स के संबंध में चर्चा का समय निश्चित किया जाय। जहां यह बिजनेस है यह बिजनेस आज ले ले, कल ले ले, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यह कोई लक्ष्मण रेखा खींचकर नहीं चले कि सदन की कार्यवाहीं केवल एक दिन के लिए ही चले यदि इस प्रकार की लक्ष्मण रेखा आपने खींच रखी है तो उस लक्ष्मण रेखा को तो आपको उल्लंघन करना पड़ेगा और इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर आपका निर्णय हो जाय उसके बाद इस चर्चा को चालू किया जाये।

श्री केदारनाथ शर्मा (गंगानगर): माननीय अध्यक्ष जी, बी.ए.सी. में जब एक दिन के लिए हाऊस को एक्सटेण्ड किया गया तो उसके पीछे एक मकसद और मंशा यह थी कि बिल्स पास करने के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी घोषणाओं के बारे में और कम्युनल राइट्स के बारे में स्टेटमेंट देंगे और बहस होगी। अचानक एडजोर्न करने के बाद हम लोग सब ससपेन्स में पड़ गए। अब भी, माननीय अध्यक्ष जी, कितनी घोषणाएं हुई हैं और कितनी पर अमल हो

(श्री केदार नाथ शर्मा)

रहा हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राडर्स कितने पर निकले हैं। अभी भी हमारे सामने तस्वीर साफ नहीं है इसलिए कि चूंकि हाउस को ग्राज लास्ट सीटिंग है। ग्रापसे निवेदन है कि बी.ए.सी. में पास करने के बाद भी एक दिन के लिए एक्सटेन्ड करने बाद भी दोनों स्टेटमेंट माननीय मुख्य मंत्री जी अगर नहीं दे पाये, हम वंचित रह गए उस डिबेट से। यह ग्रापसे हम निर्देश चाहते हैं कि ग्राज उसके लिए डिबेट शुरू की जाय। यह मामूली सा रेटिफिकेशन है। यह 15 मिनट का काम है। दोनों हाउस ने पास कर दिया है, 6–7 ग्रसेम्बली ने पास कर दिया है ग्रौर हम लोग भी सब सहमत हैं। 15-20 मिनट में रेटिफिकेशन पास कर देंगे।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : ग्रध्यक्ष महोदय, जो माननीय विपक्ष के नेता ने पाइन्ट ग्राफ आर्डर उठाया है उस संबंध में मेरा निवेदन है कि बी.ए.सी.की जो रिपोर्ट है वह सदन के अन्दर प्रस्तुत की गई थी ग्रौर बी.ए.सी. की रिपोर्ट जब प्रस्तुत की गई उस समय यदि यह पाइन्ट आउट कर देते तो मैं समझता बाद में स्थिति नहीं बनती, जिस स्थिति के बारे में ग्रापने वर्णन किया इसलिए पाइन्ट आफ आर्डर तो वेलिड नहीं है। पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर तब वेलिड होता जब बी.ए.सी. की रिपोर्ट सदन के ग्रन्दर प्रस्तुत की गई उस समय जो ग्रोमिशन हुग्रा उस समय पाइन्ट ग्राउट कर लेते और आप दूसरी बी.ए.सी. की रिपोर्ट को सप्लीमेंट कर लेते तब तो जो माननीय विपक्ष के नेता कह रहे हैं वह ठीक बात हैं। अब जो स्थिति बनी उसमें सदन के जो चेयर पर बैठने वाले अध्यक्ष महोदय हैं, वह सर्वोपरि है कि वह किस समय क्या फैसला लें। इसलिए इसको पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर का आधार न बनाया जाय। बाकी जैसी ग्राप व्यवस्था देना चाहें वैसी ग्राप दें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरी बात का समर्थन किया। उन्होंने यह कहा कि बी.ए.सी.की रिपोर्ट में कोई ओमिशन रहा। यह बिलकुल फैक्ट है कि ग्रोमिशन रहा ग्रौर उस ग्रोमिशन को हमने पाइन्ट ग्राउट इसलिए नहीं किया कि बी.ए.सी. की रिपोर्ट ग्रक्सर चर्चा करने का विषय नहीं बने। लेकिन सबके मानस में यह बात बैठी हुई थी, आप भी थे बी.ए.सी. की मीटिंग में ये सब बातें तय हुई है और हाउस में मुख्य मन्त्री जी और अध्यक्ष महोदय दोनों ने हाउस को ग्राश्वस्त किया था कि इन दोनों पर चर्चा होगी तो ग्रापका कहना इस रूप में वाजिब है कि उस समय इस प्रश्न को उठाया जाना चाहिए था, वह नहीं उठाया लेकिन उठाया इसलिए नहीं कि बी.ए.सी. की मीटिंग पर न तो चर्चा होती है। रिपोर्ट इन टोटो वैसे ही स्वीकार की जाती है। और शायद ग्रापको यह भी जानकारी होगी कि कई बार इस बिजनस एडवाइजरी कमेटी के इस मामले में, जो इस बार पेश हुई थी लास्ट टाइम पर उसमें तो ग्रौर भी कई प्रकार की कमियां रह गई थीं। हम चाहते थे कि उनको ग्रापके सामने डिसकस करें ग्रौर जब बी.ए.सी. की रिपोर्ट पर सदन ने अनुमति दे दी उसके बाद अध्यक्ष महोदय ग्रापसे भी बात हुई ग्रौर मुख्य मन्त्रीजी से भी बात हुई

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

और दोनों इस बात के लिए सहमत थे कि आज हम वक्तव्य देंगे तो चर्चा करने का या ओमिशन को पाइंट आउट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : It was commitment in the House also.

श्री हीरालाल देवपुरा (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की बैठक स्थगित हुई। जिन सरकमस्टान्सेज में स्थगित हुई उसके बारे में बी.जे.पी. के माननीय नेता, विपक्ष के नेता ने अपनी बात जाहिर की, अपनी बात स्पष्ट की ··· (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं निवेदन करूं स्टेटमेंट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं समझता हूं उसका कोई औचित्य नहीं है। अब स्टेटमेंट का कोई औचित्य नहीं रह गया। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि इन बातों पर राज्य सरकार की घोषणाओं पर और जो दूसरा विषय हमारा था साम्प्रदायिकता के आधार पर जो स्थितियां बनी, उस पर इन दोनों पर काफी चर्चाएं पक्ष की ओर से, विपक्ष की ओर से, नेताओं की ओर से, दोनों तरफ के नेताओं की ओर से अखबारों में आ चुकी है उनका विश्लेषण हो चुका है, उसमें किया जा चुका है। मैं नहीं समझता कि अब इस बात को सदन में उठा करके कोई और बात बढ़ा करके इस सदन का समय व्यर्थ में जाया किया जाय इसलिए मैं निवेदन करना चाहता था कि उस दिन की बात तो ठीक थी कि जिस दिन आपका ऐतराज था कि स्टेटमेंट होना चाहिए। सरकार तैयार थी स्टेटमेंट देने के लिए। जिन सरकमस्टान्सेज में विधान सभा को स्थगित किया गया वे सरकमस्टान्सेज उस वक्त के थे लेकिन आज जब स्टेटमेंट का सवाल आता है कि अब स्टेटमेंट दिया जाय। इस बीच में इतना अर्सा गुजर चुका है कि इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। जनता के बीच में जा चुकी है ये चीज। आपके विपक्ष की तरफ से जा चुकी है, विपक्ष के नेता महोदय की तरफ से जा चुकी है, सरकार की तरफ से कई बार स्पष्टीकरण किया जा चुका है। मैं नहीं समझता हूं कि अब इस स्टेटमेंट की किसी प्रकार भी की कोई आवश्यकता रह जाती है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिन इम्पार्टेन्ट विषय पर अखबारों में चर्चा हो जाय उस पर हाउस में चर्चा करना आवश्यक नहीं है, यह भी फैसला आज कर दीजिए ताकि इनके लोकतांत्रिक पद्धति का पता तो लग जाय।

श्री हीरालाल देवपुरा : अखबारों में चर्चा हो जाय मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इतने दिन निकल जाने के बाद अब इस पर चर्चा करने का औचित्य नहीं है। मैं यह कह रहा था, मैं यह नहीं कहता कि कोई ··· (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : औचित्य तो इस बात के लिए कि आपने सारी घोषणाएं फर्जी थी और जनता को धोखा देने के लिए की थी। (व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : यह भी आप कह चुके हैं जनता को···

श्री भैरोंसिंह शेखावत: आरोप लगा है इस बात का (व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा: यह भी आप कह चुके हैं कि हमारी घोषणाएं फर्जी हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सारी घोषणाएं आपने फर्जी की।

श्री हीरालाल देवपुरा: यह भी आप कह चुके हैं कि हमारी घोषणाएं फर्जी हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: आप जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। (व्यवधान) यही तो कह रहे हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा: यही तो कह रहे हैं। यह भी आप कह चुके हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मोटा है अध्यक्ष महोदय।

श्री हीरालाल देवपुरा : और इसका फैसला तो 27 फरवरी को जनता कर देगी (व्यवधान) इसका फैसला तो 27 फरवरी को स्वयं जनता कर देगी कि ये घोषणाएं फर्जी है या सच्ची है। (व्यवधान)

श्री भैरों सिंह शेखावत: घोषणाएं तो थोथी है।

श्री हीरालाल देवपुरा : तो इसका फैसला तो 27 तारीख को जनता कर देगी। अब कोई टाईम नहीं रह गया है। (व्यवधान)

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : सारी घोषणाएं फर्जी हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह जो जनता फैसला करेगी। 27 फरवरी तय हो चुकी है।

एक माननीय सदस्य : जनता तो तैयार बैठी है।

एक माननीय सदस्य : जनता तो कर लेगी फैसला। (व्यवधान)

श्री मोहन छंगाणी (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो स्टेटमेंट दिया वह सरासर गलत है। सदन और अखबारों को एक साथ रखना कितनी भूल है आपने असत्य घोषणाएं की। आपके पास पैसे नहीं और घोषणाएं की। सारी की सारी घोषणाएं चुनाव को मध्य नजर रख कर की हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं। आप कह चुके हैं पब्लिक को। पब्लिक को कह चुके हैं। मैंने अखबारों की बात नहीं कही। आप लोगों ने जो कहा है··

श्री मोहन छंगाणी : पब्लिक का सवाल नहीं है। सवाल सदन का है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : आप लोगों ने जो कहा, उस बात को कहा है।

श्री मोहन छंगाणी : आपको सदन में घोषणाएं पेश करनी चाहिये थी। (व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो वह कहा है जो माननीय विपक्ष के नेता ने कहा है पब्लिक में, अखबारों में जो छपा है।

श्री मोहन छंगाणी: अध्यक्ष महोदय, ये घोषणाएं यहीं तो रखनी चाहिये थीं।

श्री हीरालाल देवपुरा : पब्लिक में आप लोगों ने कहा है और वह छप चुका है। आप कह चुके हैं। आपका कथन छप चुका है इसलिये मैंने कहा है और यदि घोषणाएं असत्य है और फर्जी है तो सबको मालूम हो चुका और यह फैसला तो जनता कर देगी अब। (व्यवधान)

श्री मोहन छंगाणी : अध्यक्ष महोदय आपको निर्णय लेना चाहिये था, निश्चित निर्णय लेना चाहिये था।

श्री डूंगरराम पंवार : अब चुनाव में घोषनाएं बार-बार करके अंदर छुप जाना। घोषणाएं तो थोथी है।

श्री मानिकचन्द सुराना (लूनकरणसर): अध्यक्ष महोदय, अभी जो विपक्ष के नेता महोदय ने और बी.जे.पी. के नेता ने जो मुद्दे उठाये हैं और उस सम्बन्ध में नाथद्वारा से आने वाले महानुभाव ने कुछ राय व्यक्त की है। मैं इसी सन्दर्भ में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सदन में आपके द्वारा दिये गये निर्देश, अध्यक्ष महोदय के द्वारा दिये गये निर्देश सर्वोपरि है। यह व्यवस्था आपकी थी कि चार बजे मुख्य मंत्री जी का भाषण होगा और इस व्यवस्था पर एक बार नहीं तीन-चार बार दिन भर में चर्चा और रेफरेन्स हुए और यह कहा गया कि मुख्य मंत्रीजो बयान देंगे। मुख्य मंत्री जी भी बयान देने की तैयारी में थे। अखबार वालों को उन्होंने कहा कि बयान देना चाहता था। आकस्मिक रूप से जो विधान सभा स्थगित हो गई। मुख्य मंत्री जो ने खुद ने कहा है कि मैं खुद आश्चर्यचकित हो गया कि यह कैसे हो गया। जब सदन के नेता को भी यह जानकारी थी कि चार बजे उनका वक्तव्य होना है, अध्यक्ष महोदय का निर्देश है तो बी.ए.सी. ने क्या लिखा और क्या नहीं लिखा। आपको अधिकार है कि आप अपने निर्देश से उसको संशोधित कर देते और आपके उस संशोधित आदेश के कारण ही हम लोग चार बजे तक इन्तजार कर रहे थे। 3.40 पर यह विधान सभा स्थगित कर दी गई। यह बहुत स्पष्ट है कि राज्य सरकार अपनी घोषणाओं पर चर्चा करने से कतरा रही थी और मुख्य मंत्री भी यह कोई आकस्मिक बात नहीं है उपाध्यक्ष महोदय ने एक चलती हुई विधान सभा को जिसका नेक्स्ट बहुत इम्पारटेंट एजेन्डा था चार बजे का कि उन्होंने स्थगित कर दिया और सारे सदन को हक्के-बक्के में डाल दिया।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन अपनी कार्यवाही को स्वयं नियंत्रित करने का अधिकारी है। इस सदन ने यह तय किया था आपके माध्यम से कि चार बजे बहस होगी और, अध्यक्ष महोदय, यह सिचाई मंत्री जी जो कह रहे हैं कि अखबारों में चर्चा हो गई। अखबारों में जो चर्चा हुई उसके बाद में भी बहुत महत्वपूर्ण ...

श्री हीरालाल देवपुरा : यह नहीं कहा कि अखबारों में चर्चा हो गई। यह नहीं कहा यह कहा है कि आप लोगों का कथन अखबारों में आ चुका है। आप इन बातों को कह चुके हैं पब्लिकली-असत्य है, फर्जी है, गलत है-सब कह चुके हैं और वह पब्लिश भी हो चुकी है और पब्लिक तक जा भी चुकी है। मैंने यह कहा है। इसको मिस अन्डरस्टेण्ड मत कीजिये कि मैंने कोई

अखबारों की चर्चा की बात की है। आपकी चर्चा की बात की है।

श्री नवरंगसिंह : इसका कोई औचित्य ही नहीं है जबकि आज राजस्थान में ... (व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : स्टेटमेंट का अब कोई औचित्य नहीं हैं। यह मैंने कहा है यह मेरी राय है।

श्री मानिकचन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, जो निर्णय उस दिन तक हुए थे उसके बाद में भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय किये हैं। निर्णय करने का आपका अधिकार है लेकिन निर्णय करने पर राजस्थान की जनता को भी अपना फैसला देने का अधिकार है। आपने नाथद्वारा... (व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : जो फैसला आप चाहते हैं वह पेन्डिंग है, वह हो जायगा।

श्री मानिकचन्द सुराना : एक मिनट, वह हो जायगा। आप भी बोल रहे हैं जोश से और हम भी बोल रहे हैं जोश से....

आप उधर से इधर आ आजायेंगे।

श्री सी. पी. जोशी : नहीं आयेंगे, इधर ही रहेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : इधर भी नहीं रहेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : यह तो भविष्य बतायेगा कि आप कहां जायेंगे और हम कहां जायेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराना : मैं, अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं कि इन्होंने जो अभी फैसले किये हैं 17 तारीख की कैबिनेट में, जिसको 18 तारीख को एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर्स जारी किये हैं, राजाओं की भूमि को नियमित करने के जो आदेश माननीय हरिदेवजी जोशी की सरकार ने किये हैं, माननीय जोशीजी....

श्री सी. पी. जोशी : आप विथड्रा कर लेंगे, आप हाउस में कह दें।

श्री मानिकचन्द सुराना : आप उसकी ताईद कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आप कह दें कि आप राज में आने के बाद विदड्रा कर लेंगे। आप जनता पार्टी के समय मंत्री थे तब विथड्रा नहीं कर पाये।

श्री मानिकचन्द सुराना : जनता दल, राजाओं की भूमि के बारे में जो आदेश आपने दिये हैं।....

श्री सी. पी. जोशी : जिसका राजा प्रधान मंत्री होता है वह क्या विथड्रा करेंगे। (व्यवधान)

श्री मानिकचन्द सुराना : वह आदेश निश्चित रूप से निरस्त किये जायेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पांच साल तक आप सोते रहे और जाते वक्त आपको एक दिन में होश आया कि यह काम कर जायें, यह कर दें। कमाल करते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सुरानाजी, यह बहस नहीं चल रही है। पाइन्ट आफ आर्डर पर डिस्कशन हो रहा है। यह बहस नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराना : मैं बहस में नहीं जा रहा हूं पर मैं इस बात को हाई-लाइट करना चाहता हूं जो माननीय गुलाब सिंहजी शक्तावत ने कहा था, हमने मुकदमा दर्ज करा दिया अमरूदों के बाग का, सरकार की भूमि है और हम उसमें कोई किसी प्रकार की छूट नहीं देंगे, मैं जानना चाहता हूं गुलाब सिंहजी शक्तावत से कि क्या माननीय हरिदेव जोशी के नियमन आदेशों के द्वारा आज वही भूमि रिजर्व प्राइस से आधे मूल्य में नियमित की जा रही हैं ? और रिजर्व प्राइज क्या है ? तीन सौ रुपये । तीन हजार की भूमि डेढ सौ रुपये में नियमित करने के आदेश उन्होंने दिये ।

श्री अध्यक्ष : यह नहीं है । माननीय सुरानाजी, यह पाइन्ट आफ आर्डर आप उठा रहे हैं । नो इनिशियेशन ।

श्री मानिकचन्द सुराना : यह सब्सटेंशियल इश्यू है ।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं, चुनाव की घोषणा हो चुकी है इसलिए आप लोग बोखला क्यों गये ? मेरी समझ में नहीं आता । यदि हिम्मत है तो पब्लिक के मैदान में आकर लड़ लेना ।

श्री मानिकचन्द सुराना : बहुत हिम्मत है ।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : यदि हम में हिम्मत होगी, हम यहां आ जायेंगे, नहीं आप आ जाना ।

श्री मानिकचन्द सुराना : जमानत जब्त कराकर आओगे दूदू से, बढ़-बढ़ कर बातें नहीं करो । जमानत जब्त कराकर आओगे । अभी 15 हजार वोटों से पीछे हो दूदू में । बोल रहे हो बढ़-बढ़ कर, अपने वोटों को देखो जरा ।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : क्या साहब ?

श्री मानिकचन्द सुराना : अपनी शक्ल देखो वोटों में, कितने हैं । बहुत पीछे हो दूदू में ।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : वह शक्ल तो आपकी और मेरी बहुत अच्छी है । आप मेरे से बूढ़े हो, मैं आपसे जवान हूं ।

श्री मानिकचन्द सुराना : मैं 15 हजार वोटों से आगे हूं, आप 15 हजार वोटों से पीछे हो ।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : बाकी आपकी और मेरी शक्ल तो वहां की पब्लिक दे देगी, वह बता देगी कि कौनसी शक्ल अच्छी है । (व्यवधान)

श्री मानिकचन्द सुराना : यह बता दी है 15 हजार वोटों से पीछे हो । क्या शक्ल है तुम्हारी ।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा: कोई आवश्यकता नहीं है । काहे के लिये हाउस में इस बात को आप रेकार्ड कराना चाहते हैं । (व्यवधान) जब पूर्ण रूप से हमारी सरकार ने सब चीजों का डिक्लेरेशन कर दिया, उनके आदेश निकल गए, देवपुरा जी साहब कह रहे थे, वह सारी चीजें हो गई फिर आपको किस बात का दुःख है, मेरी समझ में नहीं बैठता । इसलिए कोई फायदा नहीं है । अब यहां पर प्रोसिडिंग्स में दो लाइन और जोड़ने से, माननीय सुराना साहब, कोई महत्वता नहीं

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इन सारी चीजों को भूल जायं और चुनाव लड़ें।

श्री मानिकचन्द सुराना : इन सारे मुद्दों की बहस आपको करनी थी, आप अपने आदेश से पीछे नहीं जा सकते, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं। यदि उपाध्यक्ष महोदय ने आकस्मिक रूप से विधान सभा को स्थगित भी कर दिया तो विधान सभा की जो मंशा है सरकारी घोषणाओं पर चर्चा करने की, घोषणाओं पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य सुनने की और उस पर अपना दृष्टिकोण जाहिर करने की, उस अपोरचुनिटी से आप सदन को महरूम नहीं करें, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं। जो मुद्दा उठाया गया है, अध्यक्ष महोदय, आपको डेनियल हैज कम टू जस्टिस उसको चरितार्थ करें। यह शायद आखिरी दिन है इस विधान सभा का।

श्री यदुनाथ सिंह (नंदबई) : अब आपको टिकट का भी डर नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराना : इसलिए आप न्याय की तुला पर जो चर्चा होनी चाहिए, उस चर्चा को कराने की अनुमति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष : गत सत्र जो स्थगित किया गया था उस समय जो स्थिति थी वह सत्ता पक्ष और विपक्ष सबको मालूम है, ज्ञात है वह। उस समय का मेरे पास कोई बिजनेस पिछले सत्र का इस समय नहीं है। सरकार ने जो बिजनेस ट्रांजेक्ट करने के लिए दिया है वह मेरे सामने आज हैं, मैं उसको ट्रांजेक्ट करना चाहूंगा और जो जैसी बातें आपने भी कहीं, सरकार की तरफ से भी जो बात आई वह आपके सारे के बीच में है। आज तो यह संविधान के संशोधन का अनुसमर्थन का है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस पर बोलें और जो पाइन्ट आफ आर्डर है उसका इस समय इन परिस्थितियों में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, जो निर्णय आपने दिया है, यह पिछला सत्र नहीं है, यह चालू सत्र है, यह इसी सत्र का है।

श्री अध्यक्ष : सरकार जो बिजनेस देती है, अध्यक्ष उसको ट्रांजेक्ट करता है। पिछला कोई पेंडिंग मेरे पास नहीं है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो बात यहां पर हाउस में कमिटमेंट के रूप में रिकार्ड की जायगी दोनों ओर से, उसका उपयोग आगे भी हो सकता है। चूंकि माननीय मंत्री जी ने यह कह दिया कि अखबारों में बड़ी चर्चा हो गई इसलिए अब उसका औचित्य नहीं है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हाउस में जो चीज रिकार्ड होगी, जो भी घोषणाएं मुख्य मंत्री जी ने की है उनका कमिटमेंट होगा, उन घोषणाओं में जो भी खोखलापन है उसका हमारा कमिटमेंट होगा और आगे जाकर उनकी घोषणाओं का क्या बना, इसका निर्णय इस हाउस के रिकार्ड पर इसी हाउस के फ्लोर पर होगा। जो सरकार उधर होगी और जो भी इधर होगा दोनों मिल कर उस रिकार्ड के आधार पर निर्णय करेंगे। आज हाउस को आपने उस रिकार्ड से महरूम रख दिया। केवल

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

अखबारों में चर्चा हो गई, वह कोई रिकार्ड नहीं है। अखबार की चर्चा यहां पर रैफर करना अधिकृत भी नहीं है। हाउस का रिकॉर्ड अधिकृत है। इसलिए जितनी भी घोषणाएं हैं और कम्युनल स्थिति पर सरकार की क्या स्थिति है, सरकार अपना कमिटमेंट दे, अपनी बात दे और हम सरकार की घोषणाओं का खोखलापन और सरकार ने किस प्रकार राजस्थान की जनता को गिरवी रख कर, राजस्थान की सरकार की आर्थिक स्थिति को भ्रष्ट करके यह जान करके कि आने वाली सरकार काम कर ही नहीं सके, जान बूझ कर ऐसी घोषणाएं की गई है उसका खोखलापन हम रखना चाहते हैं, यह रिकार्ड पर यहां आना चाहिए, इसमें आप अन्तर करिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय जोशी जी।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं उसके बारे में आपने अपना निर्णय दे दिया है। अब जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसके बारे में मुझे दो शब्द कहने हैं। बाद में अगर आप उचित समझें, मुझे फिर समय देंगे।

श्री यदुनाथसिंह : उसका क्या कर रहे हैं ? पहले आप डिसाइड हो जाने दें।

श्री हरिदेव जोशी : उसका उत्तर तो माननीय सिंचाई मंत्री जी ने दे दिया है, मुझे उसमें और कुछ नहीं कहना है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : क्या निर्णय दे दिया है। आप अपनी घोषणाओं को रिकार्ड नहीं कराना चाहते ? आप क्यों नहीं कहते कि यह घोषणाएं हमने की है। हमको यह मौका क्यों नहीं देते कि आपकी अमुक घोषणाएं राजस्थान के जान बूझकर अहित में हैं।

श्री हरिदेव जोशी ; कैसे कहते हैं ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : तो यह क्यों नहीं करने देते आप।

श्री पंकज पंचोली (मुख्य सचेतक) : पाइन्ट ऑफ आर्डर पर व्यवस्था दे दी अध्यक्ष महोदय ने।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, उस पर आपने व्यवस्था दे दी। अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर पर आपने अपनी व्यवस्था दे दी, अब मुझे बीच में और कुछ नहीं कहना है।

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज मंडी) : माननीय मुख्य मंत्रीजी, उम्मीद तो यह थी कि आप अपनी तरफ से मांग करते घोषणाएं करने की।

श्री हरिदेव जोशी : मैं तो अब उनके सामने जो प्रश्न उपस्थित है उसके ऊपर दो बातें कहना चाहता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह : नहीं अध्यक्ष महोदय जो घोषणाएं हुई हैं उन पर अब तक कार्यवाही हुई है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय. आपने जो व्यवस्था दी है, मैं समझता उस व्यवस्था में आपने हमारा समर्थन कर दिया। अब अनभिज्ञता से किया है या

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जान-बूझकर किया है, यह तो मैं कह नहीं सकता लेकिन अब आपकी स्थिति बन गई है कि अब आप चुनाव का मोह छोड़ कर यहां बैठे हैं तो मैं ऐसा समझता हूं बहुत समझदारी से आपने अपनी व्यवस्था दी है और उस व्यवस्था में आपने इनडायरेक्टली हमारा समर्थन किया है ।

श्री अध्यक्ष : मोह तो चुनाव का मुझे पांच साल पहले भी नहीं था, मैं आप सबसे कहा करता था कि मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है । शुरू से ही मैं कह रहा था कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है । मैं शुरू से कह रहा था ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अभी तक जो कह रहे थे वह तो गृहस्थी के रूप में कह रहे थे, अब यह पता लगा कि आप संन्यास की तैयारी कर रहे और सन्यास की तैयारी करने वाला व्यक्ति, मैं समझता हूं हम सब लोगों के में उनके प्रति सम्मान बढ़े तो उनका कोई भी कर्तव्य ऐसा होगा जिससे निश्चित रूप से सम्मान बढ़ेगा । अध्यक्ष महोदय, आपने एक बात कही कि मेरे सामने सरकार ने एक बिजनैस दिया है और वह प्रस्ताव है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रिजर्वेशन के मामले में । जहां तक आपने कहा वह सही है मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि सरकार ने आपको एक ही बिजनेस दिया है कि आज सदन के अन्दर इसकी कार्यवाही के बाद में लिया जाय ।

मैं आपसे जानकारी करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट रूल्स में कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो हाउस एडजोर्न होने के साथ ही लेप्स हो जाते हैं और कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो लेप्स नहीं होते । अब आज क्वेश्चन्स का प्रसंग आता । यह तो एक अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं हुयी थी । एक डेफिनेट टाइम के लिए स्थगित हुई थी । इसलिए क्वेश्चन्स भी बरकरार रह गये, रिजौल्यूशन्स भी बरकरार रह गये । बाकी की सब चीजें बरकरार रह गई और उसके साथ दो इम्पारटेंट मुद्दे भी बरकरार रह गये । मैं आपसे जानकारी करना चाहता हूं कि क्या सरकार ने आपको यह लिख कर दिया है····

श्री अध्यक्ष : रूल्स में हुआ नहीं है । रूल्स में रपीचेज वगैरा का नहीं है सरटैन बिल्स वगैरा पेंडिग रहते हैं ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक जानकारी करना चाहता हूं आपसे, क्या गवर्नमेंट ने आपको लिख कर दिया है कि जो विषय जिन पर सदन में चर्चा होनी थी और किसी कारण से उन पर चर्चा नहीं हो सकी उन पर इस सदन में चर्चा नहीं की जाय क्या सरकार ने ऐसा लिख कर दिया है, जहां तक मेरा पत्रावलियों को देखने का संबंध है, मैं समझता हूं सरकार ने आपको यह नहीं लिख कर दिया है बल्कि एक लेटर लिख कर दिया है कि इस सेशन के लिए यह हमारे पास सूचना है यह नहीं लिख कर दिया कि आपके पास जो पुराना पेंडिग बिजनेस है···

श्री अध्यक्ष : वह नहीं है, पेंडिग बिजनेस नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिजनेस वहीं है, अध्यक्ष महोदय, दो वक्तव्य मुख्य मंत्रीजी के होंगे ।

श्री अध्यक्ष : वह कैरी ओन कौनसा होता है इसको देख लें । कैरी ओन नहीं होता है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम इतनी जानकारी करना चाहते हैं कि सरकार ने आपको लिखा है या नहीं लिखा ?

श्री हरजीराम बुरडक : वह सत्र तो एक ही हैं साहब ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें न क्वेश्चन्स और न ओर, कोई भी चीज लेप्स नहीं होगी, न स्टेटमेंट लेप्स हुए हैं । क्योंकि आपने एक डेफिनेट टाइम के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की है । कोई चीज लेप्स नहीं होगी । तो वह दोनों स्टेटमेंट लेप्स नहीं हुए··· वह चान्स लेप्स नहीं हुआ ।

श्री हरिदेव जोशी : जिस दिन के लिए जो बिजनेस पब्लिस किया गया था वह बिजनेस रहा नहीं, खतम हो गया वह बिजनेस जो बिजनेस अनाउन्स किया था ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : We can sit for the another Business Advisor Committe meeting.

श्री अध्यक्ष : वह दूसरी बात है ।

श्री हरिदेव जोशी : वह दूसरी बात है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी मेरी बात मानें या नहीं मानें, मैं तो मानने को तैयार हूं । अगर आज बिजनेस में वह नहीं है तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग तुरन्त बुला ली जाय और यह दोनों विषय कब और किस समय रखे जाय तय कर लिया जाय, हम को आपत्ति नहीं होगी । अध्यक्ष महोदय, दोनों चीजें आपसे और मुख्य मंत्री जी से रूल्स के हिसाब से भी आ गई कि जो वक्तव्य वह पेंडिंग हैं अभी तक ।

श्री हरिदेव जोशी : नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कैसे ? कैसे नहीं है ?

श्री हरिदेव जोशी : जिस दिन का जो बिजनेस हाउस में अनाउंस किया वही बिजनेस है उसके सिवाय कोई दूसरी चीज तय हो नहीं सकती ।

There is no business before the House.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जो प्रेस कान्फ्रेंस में दहाड़ की थी—"मैं बहस करना चाहता था" उसका क्या हुआ ?

श्री हरिदेव जोशी : जो कुछ हुआ सो हुआ मगर आज हाउस के सामने कोई बिजनेस नहीं है क्योंकि न तो वह अनाउंस किया गया था न अमेण्ड करके आपने सजेस्ट किया इसलिए हाउस के सामने कोई बिजनेस नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी को खुशी होनी चाहिए कि उन्होंने जनहित में जो तथाकथित घोषणाएं की हैं उनका प्रचार हो रहा है प्रसार हो रहा है । आपको खुशी होनी चाहिए आपको तो प्रसन्न हो कर आगे आना चाहिए ।

श्री हरिदेव जोशी : और मौका है प्रसार करने का ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी आयें ना ? अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी ने जो 17 जनवरी को घोषणाएं की हैं सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद, खूब घोषणाएं की हैं, जिनमें राजस्थान को हानि पहुंचाई है जबरदस्त। क्या आज हम उन मामलों पर सदन में चर्चा नहीं कर सकते ? और इसलिए मैं कहना चाहता था कि उस दिन एक इम्प्रेसन दिया था कि इन घोषणाओं पर चर्चा होगी, मानिकचंद जी जिस घोषणा का रेफरेंस दे रहे थे। कई ऐसी घोषणाएं हैं जिनका कोई लीगल स्टेट्स बन ही नहीं सकता। आप उन पर चर्चा कब करवाएंगे? हम उन पर चर्चा कब करें ? देवपुरा जी ने तो रास्ता बता दिया कि अखबार में वक्तव्य दे दो। लोकायुक्त आपने ऐसा बना दिया। मैं आज सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं। लोकायुक्त आपने ऐसा बना दिया कि उसकी विवशता को खतम किये बिना दूसरा रास्ता ही नहीं होगा और उसको खतम करना होगा।

श्री हरिदेव जोशी : यह आपकी राय हो सकती है, हमारी राय नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राय तो ऐसे हो लोगों की हो सकती है।

श्री हरिदेव जोशी : हाई कोर्ट की राय है यह। (व्यवधान) आप और मैं एक व्यक्ति हो सकते हैं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : व्यक्ति के बारे में मैं नहीं कहता। अध्यक्ष महोदय, एक कांफीडेंस होता है, एक क्रेडिटिबिलिटी होती है किसी व्यक्ति के बारे में कि बड़ा ईमानदार है, भला है...

श्री हरिदेव जोशी : आपने राज्य सरकार की किसी भी मन्शा को स्वीकार किया है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कभी नहीं करूंगा गलत मन्शा को। गलत चीज को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। आप करिये अपनी बात मैं कब मना करता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : लोकायुक्त के लिए दो व्यक्तियों से पूछना होता है। लीडर आफ दी अपोजीशन और हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस आफ हाई कोर्ट से हमने ओपीनियन ले ली। हमने आपसे ओपीनियन ले ली उसके बाद में हमने गवर्नमेंट ने कन्सीडरेशन कर लिया यह मैं मानता हूं। एक बात मैं और कह दूं कि कुछ लोगों की ओपीनियन जस्टिस कुदाल के बारे में कुछ हो सकती है पर उनकी इन्टेंशन पर किसी ने अंगुली नहीं उठाई है, उनकी इन्टेग्रिटी पर कोई ओपीनियन नहीं है। आज पोलिटीकल ओपनियन आपकी हो सकती है मेरी भी हो सकती है किसी आदमी के बारे में। पर पी. डी. कुदाल इज एन आनेस्ट जज, यह बात साफ है। आपकी जो ओपीनियन है वह बायस्ड है ऐसा मैं मानता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना नहीं चाहता कि कुदाल साहब के नाम से यहां कोई प्रसंग खड़ा हो। चर्चा हुई

श्री हरिदेव जोशी : आपने लोकायुक्त कह कर उन्हें इंगित किया है।

(17)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने लोकायुक्त का नाम लिया कुदाल का नाम आपने लिया।

श्री हरिदेव जोशी : वह एक ही बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं बहुत फर्क है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि मैंने जो मुख्य मंत्रीजी को कुदाल के बारे में पत्र लिखा वह सदन की मेज पर रखें। उसमें पता लग जाएगा कि इस पद पर इस प्रकार के व्यक्ति की नियुक्ति जनहित में है या व्यक्तिगत हित में। अध्यक्ष महोदय, मैंने केवल अपनी तरफ से नहीं लिखा टाइम्स आफ इंडिया में इस प्रकार के एडिटोरियल इन जज साहब के बारे में लिखे गये उनकी मैंने फोटो स्टेट कोपी दी है। इन जज ने गांधी शांति प्रतिष्ठान के बारे में जिस प्रकार की जांच की और जिस प्रकार का प्रोसीजर अडाप्ट किया, जिस प्रकार की रिपोर्ट दी और जिस प्रकार का जन चर्चा का विषय बना। वह अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने तो कहा है, यह मैं आज कहता हूं कि XXX (व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : एकदम गलत है। मैं आपसे सहमत नहीं हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : XXX (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : संशोधन पर माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे ..... (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : इसको एक्सपंज किया जाय। अध्यक्ष महोदय, इट शुड बी एक्सपंज्ड।

श्री मानिकचन्द सुराना : जस्टिस कुदाल के विरुद्ध उनको लोकायुक्त नियुक्त किये जाने के विरुद्ध हर चीज हो गई.... विपक्ष के नेता प्रो. केदार ने भी जस्टिस कुदाल को लोकायुक्त बनाये जाने के विपरीत राय माननीय मुख्य मंत्रीजी को प्रेषित कर दी थी। (व्यवधान)

श्री पंकज पंचोली : XXX इसे एक्सपंज किया जाय ... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : XXX

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : XXX (व्यवधान)

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : आपके कहने से क्या होगा। XXX

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : XXX (व्यवधान)

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : XXX (व्यवधान)

श्री मानिकचन्द सुराना : एक नेता से कंसल्टेशन नहीं दूसरे नेता से भी कन्सल्टेशन हुआ है। प्रो. केदार से भी राय मांगी गई। इन्होंने भी यही राय दी थी (व्यवधान)

इन दोनों नेताओं ने जो राय दी है उसको सदन की मेज पर रखवाने का आदेश दीजिए

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : नोट नहीं करेंगे। मैं एक-एक को समय देता हूं। माननीय सदन के नेता खड़े हों तो सब बोलते हैं. माननीय जोशी जी। (व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : मैं तो एक ही निवेदन कर रहा हूं कि इस प्रकार से लोकायुक्त के बारे में चर्चा करना उचित नहीं होगा। कारण कि वह एक इंस्टीट्यूशन है। आप किसी से एग्री हो सकते हैं और किसी से एग्री न हों... ....

श्री यदुनाथ सिंह : इंस्टीट्यूशन भी बोल रहे हैं उसको और आप ऐसे-ऐसे आदमियों को बैठा रहे हैं XXX

श्री हरिदेव जोशी : आप किसी से एग्री हो सकते हैं किसी से एग्री-न भी हो सकते [illegible] कहता कि आप एग्री होइये। [illegible] का उपयोग करते हैं। [illegible] क्ति हो वह डेरोग्रेटरी [illegible] और [illegible] ह कहता हूं कि यह [illegible] इंस्टीट्यूशन के खिलाफ है। [illegible]ट शुड बी एक्सपन्जड आई रिक्वेस्ट यू।

श्री भवरलाल शर्मा : पाइंट आफ आर्डर, सर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय लोकायुक्त का प्रश्न आ रहा है। कायदा यह था कि अगर किसी को कोई एतराज था तो लिखित में कायदे से डिस्कस होना चाहिये। क्योंकि मेरे सामने ऐसी चीज है नहीं। वैसे ही किसी के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। मैं सरकार से मंगवाता, उनसे मांगता, कोई स्पष्टीकरण मांगता। इसलिए जो व्यक्तिगत चीज है उनके बारे में आइये, नियमों में आइये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष, जी पाइंट आफ आर्डर सर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एट रेण्डम नहीं लगा सकते। व्यक्तिगत चर्चा के बारे में कोई मेरे सामने कुछ भी नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर, सर। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : लोकायुक्त की नियुक्ति के सम्बन्ध में गवर्नर ने जो कहा है। राजस्थान के गवर्नर ने लोकायुक्त की नियुक्ति के बारे में··· (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कानूनों में आइये, नियमों में आइये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : नियुक्ति के मुताबिक... (व्यवधान)

गवर्नर ने नियुक्ति दी है।

श्री अध्यक्ष : संशोधन के बारे में कोई बोलना चाहेंगे ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मेरी बात सुनिये। अध्यक्ष महोदय, गवर्नर ने लोकायुक्त की नियुक्ति की है और गवर्नर ने लोकायुक्त की नियुक्ति करते समय यह कहा है कि मैंने इस आदमी के बारे में जानकारी नहीं की, मैंने अपना···

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास नहीं है। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा : विपक्ष के नेता ने विरोध किया है। XXX यह सारी चीजें आयी हैं। गवर्नर को नियुक्ति का अधिकार है मुख्य मंत्री को नहीं। मुख्य मंत्री की राय को भी गवर्नर मानने के लिए बाध्य नहीं है और इसलिए इन्होंने स्वयं शंका पैदा की है। स्वयं गवर्नर ने शंका पैदा की है, नियुक्ति देते समय पैदा की है। इसलिए इस प्रश्न पर विचार होना चाहिये। यह गम्भीर सवाल है।

श्री अध्यक्ष : माननीय। एलीगेशन लगाने के पहले किसी पर चाहे व्यक्ति हो, चाहे इन्स्टिट्यूशन हो मुझे कोई लिखित में देना चाहिये। वैसे ही एलीगेशन नहीं लगायेंगे। एलीगेशन है उनको एक्सपंज कर... (व्यवधान)
वैरी क्लियर है, यह बहुत साफ है। मेरे पास कुछ नहीं है वैसे ही आप लगा रहे हैं एट रेण्डम।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : अध्यक्ष महोदय, भाटी साहब कुछ कहना चाहते हैं बहुत देर से।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : पाइंट आफ आर्डर, सर।

एक माननीय सदस्य : ऐसी उपेक्षा हमने कभी नहीं देखी जिस तरह से आज भाटी साहब की हो रही है।

श्री अध्यक्ष : संशोधन के बारे में कोई बोलना चाहेंगे ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर सर।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय भाटी जी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, थोड़ा इधर भी मेहरबानी करो अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर तो यह है। यहां जो भी यह मुद्दा उठा है लोकायुक्त के बारे में। यह प्रश्न नहीं है कुदाल साहब का। मैं तो सिर्फ यह पाइंट आफ आर्डर उठाना चाह रहा हूं कि यह सब्जेक्ट भी यहां डिस्कस नहीं हो सकता लोकायुक्त का एज पर रूल्स और जो भी इतनी डिबेट हुई है नाम–धाम हुए वह तो बहुत ही अन-फोरच्युनेट है और जो भी अभी तक डिबेट हुई है लोकायुक्त के सब्जेक्ट पर वह पूरी यहां से एक्सपंज होनी चाहिये। इसलिए कि वह डिबेटबल पाइंट नहीं है और पर्मीसीबल भी नहीं है, न अध्यक्षजी उसको परमिट कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ यही पाइंट आउट करना चाहता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह : आपके नेता ने चर्चा छेड़ करके गलती की यह कहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय भाटीजी ने ठीक कहा है। (व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : इन को डांट लगाइये। प्रस्ताव लाइये।

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार (अपलोपित की गई।)

श्री अध्यक्ष : मेरे सामने कुछ नहीं है कि किस नियम में आ रहे हैं, कौन आ रहा है नथिंग बिफोर मी ।

श्री पंकज पंचोली (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं कोट कर रहा हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं । आप बैठिये । आप कोट कर देना बाद में ।

श्री अध्यक्ष : मेरे सामने कुछ नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन कर देना चाहूंगा, भाटी साहब ने पाइंट आफ आर्डर रेज किया । मैं समझता हूं यह बड़ी चतुराई का काम है । चतुराई इसके सम्बन्ध में इन्होंने की कि कुछ वर्ड्स को एक्सपंज करवाने की मांग की जा रही थी वह मांग शायद स्वीकार नहीं होती... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : देखिये, मैं 10 साल तक नहीं हुआ आपसे गुमराह, मैं अब अंत में होने वाला हूं ।

श्री डूंगरराम पंवार : गुमराह तो आप पहले हो चुके हैं अब क्या करेंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, मेरी सुनिये । अध्यक्ष महोदय, भाटी साहब को ही गुमराह कर पाऊं तो मैं समझता हूं मैं अपने जीवन में बहुत सफल होऊंगा लेकिन यह होते ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : वह महसूस कर रहे हैं कि आप.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह निवेदन कर रहा था, यह हमको गुमराह करना चाहे उनसे इसके लिए क्षमा चाहता हूं कि वह प्रयत्न नहीं करें । वह चाहते हैं कि यह कुछ वर्ड एक्सपंज किये जायं और उन वर्डस् को एक्सपंज कराने की स्थिति नहीं हो तो सारी डिबेट एक्सपंज करा दें । मैं आपसे एक जानकारी करना चाहता हूं भाटी साहब आपने कानून का रेफरेंस दिया है । किस जगह लिखा हुआ है कि लोकायुक्त के कण्डक्ट के सम्बन्ध में इस सदन में चर्चा नहीं हो सकती ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : लोकायुक्त के एक्ट में लिखा हुआ है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहां लिखा हुआ है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप पढ़िये ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बता दो ना ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप पढ़ते ही नहीं हो ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो नहीं पढ़ता ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आपने वह एक्ट पास किया उसमें यह है । लोकायुक्त एक्ट को आप पढ़ो तो सही ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे आप बताओ तो सही कि कौन सी धारा है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैंने तो पढ़ लिया है हुक्म ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो धारा बता दो ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप मंगवा लीजिये मैं अभी आपको उसकी .....

(21)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा, अभी तक नहीं पढ़ा ना आपने ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैंने तो पढ़ा है, आपने पहले डिबेट करवाई थी, आपने जो चार्जेज उठाये थे उसमें....

श्री पंकज पंचोली : अध्यक्ष महोदय, वह एक्ट आप मंगवा कर देख लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब अध्यक्ष महोदय, एक तो आपको सही बात लग गई होगी कि भाटी साहब.....

श्री पंकज पंचोली : रूल्स 272 में साफ लिखा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या है इसमें ?

श्री पंकज पंचोली : मैं बता रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या है उसमें ? आप रूल पढ़ो।

श्री पंकज पंचोली : रूल 272 में साफ लिखा है,

"A member while speaking shall not-

श्री यदुनाथ सिंह : ए. सी. एम. कोर्ट में बहस करना आप तो, अभी बैठें, विराजें।

श्री पंकज पंचोली : "(V) reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion drawn in proper terms."

जब तक कोई मोशन ड्रा नहीं किया गया हो, जब तक आफिशियल जो हाई authority में बैठा हो इनके खिलाफ आप बात नहीं कर सकते, चार्ज नहीं लगा सकते। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप क्या कह रहे थे, कौन से कोर्ट में ?

श्री यदुनाथ सिंह : ए. सी. एम. कोर्ट में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह ए. सी. एम. कोर्ट नहीं है यह सदन है, आप क्या ए.सी.एम. कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो मैं यह निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय,

श्री पंकज पंचोली : अध्यक्ष महोदय, लोकायुक्त के बारे में जो भी डिबेट हुई है उसको एक्सपंज किया जाना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक्ट तो मेरे पास नहीं है लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस एक्ट का यदि वाइलेशन होता है तो मुझे कहां जाना चाहिए था सदन के अतिरिक्त ? कोर्ट में जाना चाहिये। लेकिन मेरा जो प्रीविलेज है इस सदन में इस एक्ट का वाइलेशन होता है उसका विरोध करने का। क्या आप उस प्रीविलेज से मुझे वंचित करना चाहते हैं ? यह ठीक है कई चीजें ऐसी हैं जो सरकार स्वीकार नहीं करती और हम कोर्ट में जाते हैं लेकिन यहां पर कोर्ट में जाने का सवाल नहीं है। हाउस के सामने जब यह अपोच्युनिटी है तो उस अपोच्युनिटी को मुझे अवेल क्यों नहीं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करना चाहिये ? अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन दो थे। मुख्य मन्त्रीजी को शायद आवेश आ गया और आवेश में आकर कह दिया कि मैंने इस तरह से किया, इनके लेटर्स आ गये, या नहीं आ गये। हम तो हमारी तरफ से···

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : आप जो कुछ बोलते हो आवेश में ही बोलते हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आप क्या बोलते हो वह हमारी समझ में नहीं आता और आपके पीछे वालों के भी समझ में नहीं आता। दोनों के समझ में नही आता... (व्यवधान)

मैं उसको चैलेन्ज नहीं करता।

श्री हरिदेव जोशी : अगर आप यह सोचो···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कह दूं, आपने तो कह दिया, आपको तो छूट है।

श्री हरिदेव जोशी : जो आप ठीक नहीं समझो वह आवेश ही आवेश, बात यह है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन कर रहा था, मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपने आज तक नहीं देखा होगा कि लीडर आफ अपोजीशन के नाते कई बार स्टेट गवर्नमेंट ने मुझे कन्सल्ट किया कि इस आदमी को नियुक्त किया जाय या नहीं किया जाय ? मैंने क्वेश्चन्स भी रेज किये कि कन्सलटेशन का मतलब क्या है। फाइल तो इस समय मेरे पास नहीं है लेकिन पटना हाई कोर्ट का एक जजमेंट हुआ उस जजमेंट में कन्सल-टेशन को भी डिफाइन किया गया था कि कन्सलटेशन कन्स्ट्रेक्टिव कन्सलटेशन होना चाहिये जिन लोगों से आप कन्सलटेशन कर रहे हैं उनको एक दूसरे की ओपीनियन मालूम होनी चाहिये।

श्री सी.पी. जोशी : जे.के. गवर्नर का..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऐसी स्थिति में जे.के. गवर्नर ने कन्सलटेशन, वह तो एडमिनिस्ट्रेटिव है, सरकारिया कमीशन की रिकमण्डेशन हैं उसके आधार पर चल रही है और यह कन्सलटेशन एक्ट में, एक्ट में कन्सलटेशन है।

श्री हरिदेव जोशी : आप तो किसी कन्सलटेशन को मानते ही नहीं। जब शिवचरणजी से पिछले लोकायुक्त के बारे में पूछा तो उस समय भी आपने ना कह दिया था...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुन लीजिये, मैं कह रहा हूं जो आप कहना चाहते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मगर मैंने उसी बात को ध्यान में रखकर उनके सदन में बैठा था।(व्यवधान)

अपनी बात कह दूं आपको। मैंने आपकी बात को सुन करके कि कंसलटेशन पूरा हो चुका कि नहीं हो चुका-I am satisfied that consultation was complete. (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी बात तो सुन लो।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट । यह जो डिस्कशन इतना चला है इस पर अपाइंट कैसे किया गया कैसे नहीं किया गया यहां तक मैं इसको अलाऊ करूंगा । अलाऊ। हालांकि मेरे पास मोशन नहीं है लेकिन दूसरा जो और पाइंट है एलीगेशन वगैरह यह मैं सब को एक्सपंज करता हूं अंडर रूल 272, Under rule 272 clause (5) and Rule 273. सारे के सारे एक्सपंज होंगे Only to that extent. यह वेलेडिटी कहां है इस का जवाब आपने दिया, आपने भी जवाब दे दिया ।(व्यवधान)

क्या करेक्टर हो, किस पार्टी का है, किस का नहीं है; क्या एलीगेशन है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुन लीजिये, एलीगेशन कौन से लगे ?

श्री अध्यक्ष : जो भी है इसमें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या है ? (व्यवधान)

श्री पंकज पंचोली : अभी आपने XX और क्या हो सकता है एलीगेशन।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : XXX

श्री पंकज पंचोली : वह अलग बात है । वह कभी रहे होंगे, आज की तारीख में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी नहीं है, पहले नहीं रहे क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : किसी जमाने में आप नहीं थे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसी जमाने में XXX और मुझे बताइये अध्यक्ष महोदय, आठ वर्ष...

श्री हरिदेव जोशी : किसी जमाने में कोई सर्विस में हो और मेम्बर नहीं रहे यह कोई बात नहीं है। आपकी पार्टी के लोग हाई कोर्ट के जज हो गये ।

श्री पंकज पंचोली : (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नोट नहीं करेंगे ।

श्री यदुनाथ सिंह : XXX

श्री भैरोंसिंह शेखावत : XXX (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नोट नहीं करेंगे ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : XXX

श्री रमजान खां : XXX

श्री अध्यक्ष : यह गलत बात है। बाकायदा मोशन आना चाहिए ।

श्री माणक ढाणी : अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता जब सत्ता में थे और ।

XXX माननीय अध्यक्ष की आज्ञानुसार अंकित नहीं किया गया।

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री हरिदेव जोशी : जो प्रस्ताव रखा गया है उसके बारे में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं।

श्री मोहन छंगाणी : मैं अभी का नहीं, पर पहले का कहना चाहता हूं जब वह बोर्ड आफ रेवेन्यू के मेम्बर थे और जज बनने जा रहे थे.....

श्री अध्यक्ष : This is not the issue here.

श्री मोहन छंगाणी : XXX

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं। नो करेक्टर.....(व्यवधान)

Don't cast any aspersion

श्री हरिदेव जोशी : मेरे बारे में डिफर में कर सकते हैं, आपके बारे में डिफर कर सकते हैं, भैरोंसिंह जी के बारे में डिफर कर सकते हैं, हम व्यक्ति हैं। हरेक के बारे में डिफर कर सकते हैं, उसमें कोई वह नहीं है.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, XXX

श्री हरिदेव जोशी : नहीं मांगा है। मेरे पास में लिस्ट है....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मांगा है, कागज पेश करें। टिकट मांगा है (व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास लिस्ट है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके पास नहीं आयेगा, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के पास आयेगा। आपके पास अधिकार क्या है ?

श्री यदुनाथ सिंह : आप तो उस वक्त गवर्नर थे....(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव रखा गया है, मैं अब उसके ऊपर आता हूं। वह प्रस्ताव यह है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने यह कहा कि रूलिंग के अनुसार चल रहा हूं..

श्री अध्यक्ष : भैरोंसिह जी, एक मिनट हां, मैं करता हूं......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने यह कहा कि इसके अपोइन्टमेंट के ऊपर चर्चा हो सकती है, वह चर्चा पहले की जाय।

श्री अध्यक्ष : पर अब मैं टिकट मांगने की कहता हूं। मैंने टिकट नहीं मांगा है, मेरी कोई दरखवास्त नहीं है। तीन जगह से रिकमण्ड होकर आया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको कौन कह रहा है ?

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : तीन जगह से पैनल में मेरा नाम आया है। मैं अहसानमंद हूं कि उन्होंने मेरा नाम भेजा है, I haven't written any letter.

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपको कौन कह रहा है? मैं तो उनको कह रहा हूं। आपने तो अध्यक्ष महोदय, त्याग एवं तपस्या की है, हम दूसरों को उदाहरण दे रहे हैं। आपका सवाल नहीं है। इस अपोइन्टमेंट के प्रश्न को ले लिया जाय।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : अध्यक्ष महोदय मेरा एक निवेदन है कि आज एक बड़े राष्ट्रीय प्रश्न का सवाल है और मैं माननीय भूतपूर्व विपक्ष के नेता और विपक्ष के नेता से मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि क्या वह सारे आरक्षण के विरोध में हैं क्या? क्योंकि जब आरक्षण का सवाल आता है तो बार-बार उसके काम में अड़चन डाली जाती है... (व्यवधान)

श्री नवरंग सिंह : हम तो आरक्षण के पक्ष में हैं। (व्यवधान)

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : यह नजर आ रहा है अध्यक्ष महोदय, कि यह विपक्ष के जितने भी सदस्य हैं वे आरक्षण के विरोध में हैं।

एक माननीय सदस्य : यह आरक्षण बिल तो हमने पास किया है। हमारी सरकार ने पास किया है आरक्षण को। आप क्या करेंगे ?

श्री जय कृष्ण तोसावड़ा : इसीलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी तो लोकायुक्त की बात करते हैं, कभी जाकर उन घोषणाओं की बात करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : संशोधन पर कोई बोलना चाहेंगे ?

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : कि ऐसे मसले को यह क्यों टाल रहे हैं...

एक माननीय सदस्य : इनके नेताओं की नीति स्पष्ट की जाय...

अडवानीजी आरक्षण के विरोध में हैं। (व्यवधान)

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : यदि यह आरक्षण के विरोध में है तो खुले रूप से कह दें कि हम विरोध करते हैं। यह पूरे देश का मसला है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह संशोधन पर बोल रहे हैं, बोलिए।

एक माननीय सदस्य : इनको किसी बातका पता नहीं है बार-बार XXXअध्यक्ष महोदय। तोसावड़ाजी को घाट गेट से थोड़ा आगे पहुंचाओ। (व्यवधान)

श्री जयकृष्ण तोसवाड़ा : मेरा एक प्रश्न है और पूरे सदन से प्रश्न है..

श्री अध्यक्ष : संशोधन पर बोलेंगे....

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : क्या कारण है कि आज जब से सदन प्रारम्भ हुआ है, कार्यवाही प्रारम्भ हुई है तब से माननीय सदस्य, विपक्षी दल के माननीय भूतपूर्व नेता महोदय, माननीय नेता महोदय और अन्य जितने भी सदस्यगण हैं इनको सम्मानता से निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह एक उत्तर दे दें सदन के अन्दर...

श्री अध्यक्ष : आप संशोधन पर बोलिये पोइन्ट आउट मत कीजिए ।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : कि क्या आप आरक्षण के विरोध में हैं ? और जब भी बार-बार आरक्षण को बढ़ाने की बात आती है वहीं खड़े होकर के कोई न कोई मसला लाकर बीच में खड़ा कर देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इनको यह पूछें और यह उत्तर दें कि क्या आरक्षण के विरोध में हैं? यदि आरक्षण के विरोध में हैं तो सार्वजनिक भाषण देने का इनको कोई अधिकार नहीं है ।

श्री प्रभुलाल मीणा : आरक्षण के मामले में तो गुमराह कर इन्होंने वोट लिये हैं.. (व्यवधान)

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : आपका समय समाप्त हो गया है..

एक माननीय सदस्य : जनता दल ने पास कर रखा है यह बिल ।

श्री अध्यक्ष : कृपया संशोधन के सम्बन्ध में बोलें ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय अडवानीजी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसका तो स्पष्टीकरण करें . (व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की राजनैतिक कार्य समिति ने आरक्षण को दस साल बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पास किया है. .

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : अध्यक्ष महोदय, आरक्षण को दस साल हमने बढ़ाया है...

श्री हीरालाल आर्य : लोक सभा में पास हुआ या नहीं ?

श्री ग्यारसी लाल परिड़वाल : आपको पता ही नहीं है इस बात का । तोसावड़ा जी, आपको कोई पता नहीं है । आप तो शिड्यूल कास्ट में हो ही नहीं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह तोसावड़ाजी तो यह कहते हैं कि मैं अनुसूचित जाति का सदस्य ही नहीं हूं ।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : मेरा एक निवेदन और है । गई बारह-तेरह तारीख को इन्हीं के एम.पी. जो टोंक जिले से हैं उन्होंने खुली बात कही है कि यदि सवर्ण कास्ट के लोग हमसे बेटी व्यवहार करेंगे तो हम आरक्षण का विरोध करेंगे । ऐसा तो इनका नेता है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति ने प्रस्ताव पास किया है...

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : आप अपने नेताओं को समझाइये पहले बोलना सीखें। और यदि नहीं बोलना सीखते हैं...

श्री ग्यारसी लाल परिड़वाल : भारतीय जनता पार्टी ने दस वर्ष के लिए आरक्षण का समर्थन किया है...

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप पढ़ते तो हो नहीं, हम तो आरक्षण के पक्ष में हैं ! उसको पास करायेंगे।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : पहले बोलना सीखो कि सार्वजनिक स्थान पर कैसे बोला जाता है ? उस वक्तव्य और उस भाषण का हमारी जनता पर किस ढंग से असर पड़ता है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, इनसे तो पूछें और ऐसी शिक्षा दें, उसके बाद यह जाकर बोलें, मेरा आपसे यह निवेदन है।

श्री छोगाराम बकोलिया : भारतीय जनता पार्टी प्रधान मंत्री वी.पी. सिंह के अंगेस्ट में है इसलिए यह जो बिल लाना चाहते हैं उसमें रुकावट डालना चाहते हैं.. (व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : मेन्टेन चैक का पावर चाहते हैं चुनाव लड़ने की क्वालिफिकेशन में... (व्यवधान)

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : विपक्ष के लोग फूटा ढोल बजा रहे हैं और कुछ नहीं है इनके पास फूटा ढोल बजा करके जनता को गुमराह कर रहे हैं, अब वह फूटा ढोल गया आपका...

शासकीय संकल्प

श्री अध्यक्ष : सदस्य, माननीय सदस्य। आप सब बोल चुके ? प्रश्न यह है कि यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा–पारित संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक, 1989 द्वारा किए जाने के लिए प्रस्तावित भारत के संविधान के संशोधन का, जो कि उसके अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (घ) के क्षेत्र में आता है, अनुसमर्थन करता है ?

(स्वीकृत)

संविधान संशोधन का अनुसमर्थन किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डिबेट तो होगी न इस पर ?

श्री अध्यक्ष : कोई बोला ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कैसे नहीं बोलेंगे, क्या हुआ ? यह क्या कर रहे हैं आप ? डिबेट होगी इस पर। यह मत करिये।

श्री हरिदेव जोशी : विरोधी पक्ष की नीयत क्या थी, यह बहुत साफ हो गई !

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी नीयत। नहीं अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष की नीयत क्या थी...(व्यवधान) मैं समझ रहा था कि आप विचारार्थ लेने के लिए मूव कर रहे हैं। आप यूं मत करिये। संकल्प विचारार्थ लिया जाता है पहले।

श्री अध्यक्ष : मैंने पारित किया है। सदन अगर इनीसियेट करना चाहें तो दोनों पक्ष मौजूद हैं ..

श्री दिग्विजय सिंह : विचारार्थ पहले होता है, उसके बाद पारित होता है ...

श्री नवरंग सिंह : अध्यक्ष महोदय; नियम में विचारार्थ का है। पहले विचारार्थ होगा, फिर पारित होगा।

(12.00 मध्याह्न)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्री इनीसियएट करेंगे ।

श्री नवरंग सिंह : अध्यक्ष महोदय, नियम ही विचारार्थ का है ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, आज फिर उस दिन वाली स्थिति है, वही स्थिति है जो उस दिन थी, जब हम एडजोर्न हुए थे । उस दिन भी विरोध पक्ष कुछ नहीं बोला और जब हाउस एडजोर्न होने की घोषणा हुयी तब वह बोले, आज भी आपने प्रश्न पुट अप किया तब वह नहीं बोले; क्योंकि हम जानते हैं कि इनके मन में क्या है ? वह डिटेल में बोलना चाहते थे । मेरा यह एलीगेशन है आज के रिज्योलुशन के ऊपर वह कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं । यह आरक्षण के विरोधी हैं । जो यहां पर कहते तो हैं कि. . . (व्यवधान)

अब आपके पास सिवाय सदन को स्थगित करने के कोई विकल्प नहीं है । (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब डिबेट शुरू हुई है ना । ठीक है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री की सुनूं या आपकी सुनूं । सदन के नेता कह रहे हैं. . . (व्यवधान)

श्री प्रभुदयाल मीणा : आप क्या कह रहे हैं । आपके नेता कह रहे हैं । आरक्षण की नीति साफ है आपकी ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, क्या आपने प्रश्न पुट अप नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष : मैं कह चुका हूं कि मैं इसे पास कर चुका हूं ।

श्री यदुनाथ सिंह : पास कर चुके हैं ? कैसे पास कर चुके हैं ? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कैसे पास कर चुके हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह तो आप रिकार्ड देख लें । (व्यवधान)

यह सब रिकार्ड में मौजूद हैं । रिकार्ड में मौजूद है । (व्यवधान)

श्री नवरंग सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जनता सरकार ने दिल्ली में पारित किया है· · ·

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने. . .

श्री अध्यक्ष : मैं मौजूद नहीं हूं, यह कह सकते कि मैं चला गया हूं। (व्यवधान)

पास तो मैंकर चुका हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पास कैसे कर चुके ?

श्री अध्यक्ष : मैं क्या करूं कोई बोला नहीं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने इनको अलाऊ क्यों किया ?

श्री अध्यक्ष : मैंने 12 बजे एलाउ किया है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी. . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कई बार पुकारा कि बोलें बोलें, कोई बोला नहीं । (व्यवधान)

श्री नवरंग सिंह : हमारी बात को सुना नहीं । हमारी सरकार ने इसको पास किया है ।

श्री अध्यक्ष : मैं सभी माननीय सदस्यों को शुभकामना देते हुए सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करता हूं ।

(तदनन्तर सदन की बैठक अपराह्न 12.00 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई) ।